27/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र प्रारंभिक निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2022/127

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.02 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

कानाराम आदि बनाम रामकुमार आदि

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए 1955

प्रकरण संख्याः–190/2022

GCMS:- 2022/127

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.24	उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नं0 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य हैं। तहसील सूरतगढ के चक 10 एनआरडी खाता नं0 88/81 प0न0 102/316 कि0न0 23/2, 24, 25 = 0.557 है0, प0न0 102/317 कि0न0 1/1 ता 15/2 = 3.720 है0 कुल 4.277 है0 खातेदारी भूमि में प्रार्थी नं0 1 के नाम 51/611 हिस्सा व प्रार्थी नं0 2 के नाम 51/611 हिस्सा एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के नाम हिस्सा मुताबिक दर्ज हैं। इसके अलावा चक 8 एनआरडी खाता नं0 27/47 प0न0 98/319 कि0न0 13 ता 17 = 0.898 है0 खातेदारी भूमि में प्रार्थी नं0 1 के नाम 75/898 हिस्सा, प्रार्थी नं0 2 के नाम 75/898 हिस्सा शेष भूमि अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के नाम हिस्सा मुताबिक दर्ज हैं। इस प्रकार चक 5 एनआरडी खाता नं0 28/21 प0न0 90/317 कि0न0 1 ता 25 = 5.780 है0 खातेदारी भूमि में प्रार्थी नं0 1 के नाम 1/24 हिस्सा, प्रार्थी नं0 2 के नाम 1/24 हिस्सा व शेष भूमि अप्रार्थी नं0 1 ता 12 के नाम से जमाबंदी में दर्ज हैं। इस खाते में प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 10 की माता तीजा देवी के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी रकबा दर्ज रिकार्ड था। तीजा देवी के देहान्त पश्चात् उक्त रकबा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हुआ। शेष रकबा में अप्रार्थी नं0 11 के नाम 2783/5780 हिस्सा व अप्रार्थी नं0 12 के नाम 107/5780 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। चक 10 एनआरडी एवं 8 एनआरडी का रकबा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के स्व0 पिता मनीराम पुत्र भोमाराम के नाम से सयुंक्त परिवार का सहदायी रकबा था व चक 5 एनआरडी का रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 10 की माता तीजा देवी के नाम से सन् 1987 में खरीदकर बैयनामा अपनी माता के नाम से करवाया था। उस समय प्रतिफल राशि विक्रेता को प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 5 ने ही वहन की थी। इसलिये चक 5 एनआरडी का रकबा हमारे माता व पिता का संयुक्त परिवार सहदायी रकबा हैं। जिसमें हमारी बहन अप्रार्थी नं0 6 ता 10 सहदायी नही रही हैं। हमारी बहनो का हमारे पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अच्छे तरीके से शादी, भात, छूछक तमाम रीति रिवाजो से कर दिया हैं। जैर प्रकरण रकबा को सुधारने व खातेदारी लेने में हमारी बहनो अप्रार्थी नं0 6 ता 10 को कोई मेहनत व खर्चा नही लगा हैं। हमारी बहनो ने भी अपना हक कभी नही लिया। इसलिये यह रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 5 के नाम से करवाने के हकदार हैं। तीनो चको का रकबा हमारे माता पिता द्वारा अपने जीवनकाल में आज से 20 वर्ष पूर्व सन् 2002 में हमारी बहनो की सहमति से घरू बंटवारा मौखिक रूप से करके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 5 को 1/7–1/7 हिस्सा में बांटकर कब्जा दे दिया था। तब से लेकर आज तक इस रकबा का कब्जा काश्त प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/7 हिस्सा, अप्रार्थी नं0 4/1 ता 4/5 संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा व अप्रार्थी नं0 5/1 ता 5/4 भी संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा काश्त करते हैं। अप्रार्थी नं0 6 त 10 का कोई हक व हिस्सा जैर प्रकरण रकबा में नही हैं एवं ना ही अप्रार्थी नं0 6 ता 10 द्वारा अपना हिस्सा लिया हैं। अप्रार्थी नं0 6 ता 10 द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 5 के हक में समर्पण कर रखा हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता के फौत होने के बाद उनके नाम का चक 10 एनआरडी का 4.227 है0 रकबा जरिये विरासतन इन्तकाल नं0 341 दिनांक 07.02.2022 से व चक 8 एनआरडी का 0.898 है0 रकबा का जरिए इन्तकाल नं0 286 दिनांक 05.01.2022 से व माता तीजा के नाम का चक 8 एनआरडी का रकबा विरातसन इन्तकाल नं0 445 दिनांक 27.10.2021 से जैर प्रकरण रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के नाम से 1/12–1/12 हिस्सा में दर्ज हुआ। जो कानूनी रूप से अपने माता पिता के जायज वारिस होने से दर्ज हुआ हैं। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.02 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

27.12.2024

तीनो चको का रकबा आज भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 5 के पास ही 1/7—1/7 हिस्सा में हैं। इसलिये प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/7 हिस्सा, अप्रार्थी नं0 4/1 ता 4/5 संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा व अप्रार्थी नं0 5/1 ता 5/4 भी संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा की घोषणा करवाने के हकदार हैं एवं तीनो इन्तकाल निष्प्रभावी व बेअसर हैं तथा खाता विभाजन कब्जा काश्त को ध्यान में रखकर अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुये करवाने के हकदार हैं।

यह कि गांव के कुछ असमाजिक लोग अप्रार्थी नं. 6 ता 10 को बहला परचा कर उनके नाम से दर्ज चला आ रहा रका अपने नाम से कराना चाहते हैं। दिनांक 09.07. 2022 को प्रार्थीगण अपने खेत में कार्य कर रहें थे तो अप्रार्थी नं0 6 मौका पर आई ओर अपने नाम से दर्ज रकबा को बिना कब्जा के बैचान करने की धमकी दी। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी नं0 6 को बताया कि तुम्हारा उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा ही हैं। तुम पिता द्वारा किये गये घरू बंटवारनामा अनुसार उक्त भूमि को हमारे हक में दस्तबरदारी करो या अपना हिस्सा सक्षम न्यायालय से घोषित करवाकर बैचान करें। अप्रार्थीगण इस रकबा को बिना खाता विभाजन बैचान करने पर उतारू हैं। यदि अप्रार्थीगण इसमें कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। जबकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में साबित हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। कथन की पुष्टि में आरएलडब्लुय 2005 (1) पेज 222, आरआरडी 2002 पैज 744 पेश की।

वकील अप्रार्थी नं0 3, 5/1, 6 ता 9 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि जैरवाद चक 10 एनआरडी व 8 एनआरडी का रकबा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के पिता मनीराम का 55 पूर्व का रकबा था। जो कि जीवनकाल में उनके नाम से रहा एवं मृत्यु उपरान्त विरासतन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नं0 1 ता 10 के नाम से दर्ज हो चुका हैं। इसके अलावा माता तीजा के नाम का जैर वाद चक 5 एनआरडी का रकबा तीजा का स्वअर्जित रकबा था। जो कि उनके देहान्त पश्चात् प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के नाम से दर्ज हो चुका हैं। जो कि कानूनन सही हैं। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत माता व पिता की सम्पति में पुत्रो के समान पुत्रियो का भी हिस्सा बनता हैं। अतः जैरवाद रकबा में पुत्रो के समान पुत्रियो का हिस्सा होने के कारण अप्रार्थीनं0 6 ता 10 के नाम दर्ज इन्तकाल वैधानिक होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य हैं। प्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पाने के कतई अधिकारी नही हैं। हिन्दू परिवार में प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व होता हैं कि वोह अपने पुत्र पुत्रियो की शादी अच्छे व सम्पन्न घरो में करें। शादि करने से अप्रार्थी नं0 6 ता 10 के अधिकार जैरवाद रकबा में माता—पिता की मृत्यु उपरान्त समाप्त नही होते हैं। माता व पिता की सम्पति में सभी वारिसो का हक व हिस्सा कानूनन बनता हैं। अप्रार्थी नं0 6 ता 10 भी अपना हिस्सा लेना चाहती हैं। माता व पिता के देहान्त पश्चात् जैरवाद रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के नाम से विरासतन दर्ज हुआ हैं। राजस्व रिकार्ड में जैरवाद रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज हैं। संयुक्त रूप से कब्जा काश्त हैं। कभी भी कोई घरू बंटवारा नही हुआ हैं। घरू बंटवारा का कोई दस्तावेज निष्पादित नही किया गया हैं। अप्रार्थी नं0 6 ता 10 अपना—2 हिस्सा अपने भाई अ[illegible] को हिस्सा व ठेका पर देकर काश्त करवाती हैं। अतः जैरवाद रकबा में अप्रार्थी [illegible] का भी हिस्सा हैं। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अप्रार्थीगण खातेदार [illegible] हैं। खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित नही हैं। सभी खातेदार अपने हक व हिस्से की भूमि को सुधारने, हिस्से की भूमि पर भूमि सुधार हेतु ऋण लेने, कर्जा अदायगी हेतु किसी को रहन, बैय करने हेतु कानूनन स्वतन्त्र हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.02 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बिना किसी खातेदार की सहमति से उसको उसके हिस्से से वंचित किया जाने का प्रावधान कानून में कहीं भी दर्ज नही हैं। प्रार्थीगण का जैरवाद रकबा में 2/12 हिस्सा बनता हैं। जो कि उनको मिला हुआ हैं। उससे अधिक हिस्सा पाने के प्रार्थीगण कतई अधिकारी नही हैं। जैर वाद में कब्जा काश्त के प्रश्न का विनिश्चय मौका देखने से अथवा विशिष्ट व्यक्ति की रिपोर्ट से ही साबित हो सकती है। अन्यथा नही? अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि को सुधार कर काफी रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया है तथा अपनी सुधारी हुई भूमि को ही खाता विभाजन में प्राप्त करना चाहते है। प्रथम दृष्टया मामला कतई प्रार्थीगण के हक में साबित नही है। मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के पास उक्त जैर वाद भूमि के अलावा और कोई आय का स्त्रोत नही है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने–2 हिस्से की भूमि को शारीरिक व आर्थिक मेहनत से काबिल काश्त बनाया है। अगर अप्रार्थीगण भूमि बैच देते हैं तो अप्रार्थीगण के पास कोई आय का स्त्रोत नही बचेगा तथा परिवार की भूख मरने की नौबत आजायेगी। इसलिये भूमि बैचान करने का प्रश्न कतई नही है। मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से तथा भूमि को सुधार हेतु कृषि ऋण महरूम करने तथा सरकारी योजनाओ से वंचित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थगण खातेदार कृषक हैं। खातेदार कृषक के खिलाफ स्थगन प्राप्त नही किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में साबित नही हैं। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहें हैं। अतः न पूरा होने का नुकसान भी प्रार्थीगण का नही हैं। जबकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि पर स्थगन प्राप्त कर उनको उनके हिस्से से वंचित करने हेतु अवैधानिक दबाब बनाया जा रहा हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित हैं। एक तरफा स्थगन होने के कारण भी न पूरा होने वाला नुकसान अप्रार्थीगण को हो रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। अतः कानून के प्रावधानो व समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरीत जाकर सहकाश्तकार खातेदार के खिलाफ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें तथा अप्रार्थीगण को सरकारी योजनाओ से वंचित किये जाने हेतु प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावें। पुष्टि में आरबीजे 2002 पेज 130 व आरआरटी 2013 (2) पेज 1108 पेश की।

वकील अप्रार्थी नं0 11 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 11 के खिलाफ चक 10 एनआरडी व 8 एनआरडी में कोई अनुतोष प्रार्थीगण द्वारा नही चाहा गया हैं। अप्रार्थी नं0 11 के नाम से चक 5 एनआरडी प0न0 90/317 कि0न0 1 ता 10 व 15 में 2.783 है0 रकबा पर कब्जा काश्त हैं। अपनी कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाने की हकदार हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी नं0 2 द्वारा कई अवसर दिये जाने के बाबजूद जबाब पेश नही किया गया हैं। इसलिये जबाब बन्द किया जाता हैं। चुंकि प्रकरण में दो साल की अवधि व्यतित हो चुकी हैं अतः गुण दोष के आधार पर प्रार्थना पत्र निर्णित करना उचित समझते हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट हैं जैरवाद चक 10 एनआरडी, 8 एनआरडी एवं 5 एनआरडी का रकबा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 12 के नाम से दर्ज हैं। जिसे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो स्वीकार करते हैं। प्रार्थीगण का यह कथन कि जैरवाद रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 5 के माता–पिता द्वारा अप्रार्थी नं0 6 ता 10 की सहमति से घरू बंटवारा कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/7 हिस्सा, अप्रार्थी नं0 4/1 ता 4/5 संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा व अप्रार्थी नं0 5/1 ता 5/4 भी संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा का कब्जा सौंप दिया गया। परन्तु अपने उक्त कथन को साबित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया है एवं इसके अलावा अप्रार्थी नं0 6 ता 10 भी उक्त घरू बंटवारे के तथ्य को अस्वीकार कर रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.02 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

27.12.24

इस स्टेज पर प्रार्थीगण के इस कथन में प्रथम दृष्टया कोई बल प्रतीत नही होता हैं कि वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 10 के मध्य हो चुका था। इसलिये पूर्णतया स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी नं0 6 ता 10 भी अपना राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा को लेना चाहती हैं। मौखिक कथनो के आधार पर किसी खातेदार कृषक को उसके हिस्से से वंचित नही किया जा सकता हैं। जैर वाद तीनो चको का रकबा वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 12 के नाम से संयुक्त रूप से चला आ रहा हैं। कानूनन संयुक्त रूप से दर्ज रकबा में सभी खातेदारो का इन्च–इन्च भूमि पर कब्जा माना जाता हैं। किसी भी सहखातेदार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा को रहन, बैय एवं हस्तान्तरण करने से वंचित नही किया जा सकता हैं एवं ना ही उसको इच्छानुसार उपभोग करने से रोका जा सकता हैं। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में साबित नही हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में पेश होने के कारण हम उसे निरस्त करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए निरस्त किया जाता हैं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.07.2022 निरस्त की जाती हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को सरे इजलास सुना गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.02 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested